संख्या- 11/2016/3880 /33-2-16-11सी.एम./2016

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 दिसम्बर, 2016

विषय:-त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों को प्रदत्त मानदेय में वृद्धि किया जाना ।

महोदय,

संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से त्रि-स्तरीय पंचायतों को समय-समय पर शक्तियां एवं दायित्व सौपें गये है, जिसके कारण उनके कार्यो में अत्यधिक वृद्धि हुई हैं। पदाधिकारियों के कर्तव्यों एवं दायित्वों में वृद्धि के कारण पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर उनको देय मानदेय में वृद्धि करने का अनुरोध किया जाता रहा हैं।

2- उपर्युक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्रि-स्तरीय पंचायत में ब्लाक प्रमुखों एवं जिला पंचायत, अध्यक्षों के कर्तव्यों एवं दायित्वों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान शासनादेश संख्या-02/33-2-2014-34जी/2001टी.सी.-।।, दिनांक 07 जनवरी, 2014 द्वारा अनुमन्य मानदेय एवं भत्ते, जैसा कि नीचे कालम-2 में उल्लिखित हैं, के स्थान पर अब कालम-3 के अनुसार उनके मानदेय में वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	**वर्तमान में शासनादेश संख्या-1113/33-2-2006-34जी/2001टी.सी.-।।, दिनांक 20.03.2006 शासनादेश संख्या-6368/33-2-2006-34जी/2001टी.सी.-।।, दिनांक 26.12.2006 एवं शासनादेश संख्या-02/33-2-2014-34जी/2001 टी.सी.-।।, दिनांक 07 जनवरी, 2014 द्वारा अनुमन्य मानदेय एवं भत्ते की दरें:-**	**अब प्रतिस्थापित मानदेय एवं भत्ते की दरें:-**
1	**2**	**3**
1	क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को रू0 7000.00 प्रतिमाह की दर से अनुमन्य मानदेय।	क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का रू0 9800.00 प्रति माह की दर से मानदेय अनुमन्य होगा।
2	जिला पंचायत के अध्यक्ष को रू0 10,000.00 प्रति माह की दर से अनुमन्य निश्चित यात्रा भत्ता/मानदेय।	जिला पंचायत के अध्यक्ष को रू0 14,000.00 प्रतिमाह की दर से निश्चित मानदेय अनुमन्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 के अनुसार प्रस्तावित वृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि मदों पर व्यय होने वाली धनराशि क्षेत्र पंचायतें तथा जिला पंचायतें क्रमशः अपनी क्षेत्र निधि एवं जिला निधि में जमा धनराशि, जिसमें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि भी सम्मिलित है, में से वहन कर सकेंगीं तथा इसके लिए पृथक से कोई बजट आवंटित नहीं किया जायेगा।

4- यह बढ़े हुए दर पर मानदेय दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 से देय होगा और इसका प्रथम भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2017 से होगा।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- स्टाफ आफिसर अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
5- निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0, लखनऊ।
6- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, पंचायतीराज (लेखा), उ0प्र0 इन्दिरा भवन, लखनऊ।
8- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0।
9- समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत), उ0प्र0।
10- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
11- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
12- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ।
13- पंचायतीराज अनुभाग-1 एवं 3 ।
14- गोपन अनुभाग-1 ।
15- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 ।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in